



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1943 (श10)
(सं० पटना 641) पटना, मंगलवार, 27 जुलाई 2021

बिहार विधान सभा सचिवालय

vf/k l puk
27 जुलाई 2021

सं० वि०सं०वि०-24/2021-2468/वि०सं० ।— “fcgkj LokLF; foKku fo'ofok; d] 2021”,
जो बिहार विधान सभा में दिनांक 27 जुलाई, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य
संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूदेव राय,
प्रभारी सचिव,।

[वि०स०वि०-17/2021]

fcgkj LokLF; foKku fo'ofok|ky; fo/k; d] 2021

iLrkoukA& राज्य सरकार और/अथवा ट्रस्ट अथवा सोसाईटी द्वारा स्थापित संस्थान जो चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली, दंत चिकित्सा, उपचर्या, विभिन्न पैरामेडिकल विधाएँ, यथा—चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति एवं अंतर्विभागीय क्षेत्रों यथा— लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र आदि संचालित हैं एवं स्वास्थ्य विज्ञान के अन्य प्रक्षेत्रों के पारंपरिक एवं नये क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु संबंधन करने एवं इसे सुगम बनाने हेतु बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने के निमित्त ;

vkj] pfd] शिक्षकों एवं छात्रों के लिए अकादमिक स्वतंत्रता एवं छात्रवृत्ति को संप्रवर्तित करने तथा, या तो स्वतंत्र रूप से या उत्कृष्ट उच्चतर विद्या के अन्य केन्द्रों के साथ संयुक्त रूप से, छात्रवृत्ति एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु साधक बौद्धिक वातावरण को पोषित एवं विकसित करने के उद्देश्य के साथ एक विशिष्ट स्वायत्त संस्थान की स्थापना वांछनीय मानी गयी है;

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1- lf{kIr uke] foLrkj ,o ikjEHkA&

¼1½ यह अधिनियम “बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021” कहा जायेगा।

¼2½ इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

¼3½ यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा, जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2- ifjHkk"kk,A & जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में —

¼i½ ^'k{kf.kd ifj"kn* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शैक्षणिक परिषद्;

¼ii½ l)c) lLFkku से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदत्त संस्थान।

¼iii½ ^'k{kf.kd LVkQ* से अभिप्रेत है स्टाफ की ऐसी कोटि जो परिनियम (स्टेच्यूट) द्वारा विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ होना पदाविहित की गयी है ;

¼iv½ ^lEc) rk* से अभिप्रेत है परिनियम (स्टेच्यूट) एवं इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी विनियमावलियों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा की गई संबद्धता ;

¼v½ Lok;Ÿk'kk lh egkfo|ky; vFkok lLFkku से अभिप्रेत है वैसे संस्थान जिसे प्रासंगिक संविधी के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्तशासी घोषित किया गया हो।

¼vi½ ^dyifr* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति ;

¼vii½ ^e[;e=h* से अभिप्रेत है बिहार राज्य का मुख्यमंत्री ;

¼viii½ ^egkfo|ky;* से अभिप्रेत है वैसे महाविद्यालय जो चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली दंत चिकित्सा, उपचर्या, औषधि, विभिन्न पैरामेडिकल विधाएँ, यथा—चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति शामिल है, की शिक्षा के स्तरमान में एकरूपता स्थापित करना, ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धन एवं वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए और स्वास्थ्य विज्ञान की सभी पद्धतियों की आपसी समझ पर, सभी स्तरों पर शैक्षणिक उत्कृष्टता के उच्चतम स्तरमान को आधुनिक बनाना, सुधारना एवं उपलब्धि का निरन्तर लक्ष्य रखना;

¼ix½ ^dykf/kifr* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति ;

¼x½ ^egkfo|ky;* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित या संचालित कोई संस्था ;

¼xi½ ^ikB;Øe* से अभिप्रेत है वैसे पाठ्यक्रम जो स्वास्थ्य विज्ञान की प्रासंगिक धाराओं में और भविष्य में सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पाठ्यक्रमों में, स्नातक अथवा उच्चतर उपाधि प्रदान करता हो;

¼xii½ ^dkV* से अभिप्रेत है महाविद्यालय का कोर्ट;

¼xiii½ ^Hkkjrh; nr fpdRlk ifj"kn* से अभिप्रेत है दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (अधिनियम 16, 1948) एवं संशोधित अधिनियम 1993 की धारा-3 के अधीन गठित दंत चिकित्सा परिषद् ;

¼xiv½ ^depkj* से अभिप्रेत है यथास्थिति विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ;

¼xv½ ^dk;dkfj.kh ifj"kn* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कार्यकारिणी परिषद् ;

¼xvi½ ^foŸk lfefr* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति ;

¼xvii½ ^ljdkj* से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

¼xviii½ ^LokLF; foKku* से अभिप्रेत है चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली की शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, फार्मसी शिक्षा, दंत चिकित्सा शिक्षा, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, फिजियोथेरापी, ऑकुपेशनल थेरापी,

- स्पीच थेरापी एवं अन्य पारामेडिकल पाठ्यक्रमों में उनकी सभी शाखाओं में निवारक प्रोत्साहन उपचारात्मक और पूर्णवास सेवाएँ;
- xxix ¹LFkk* से अभिप्रेत है शैक्षणिक संस्था या महाविद्यालय जो स्नातक या उच्चतर शिक्षा की डिग्री के लिये पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो ;
- xx ¹Hkkjrh; vk;foKku ifj"kn* से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा अधिनियम 1956 (अधिनियम 1956 का 102) तथा संशोधित अधिनियम, 1993 द्वारा गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ;
- xxi ¹dnkpj* से अभिप्रेत है परिनियम (स्टेच्यूट) द्वारा विहित कोई कदाचार ;
- xxii ¹vk/kfud fpfdRlk i)fr* से अभिप्रेत है डिप्लोमा और डिग्री स्तर या उससे ऊपर के पूर्व नैदानिक, नैदानिक, पारामेडिकल और पाराडेंटल विषयों से संबंधित आधुनिक चिकित्सा की सभी शाखाएँ और ऐसे अन्य विषय जो निर्धारित किये जा सकते हैं।
- xxiii ¹jk"Vh; vk;foKku vk;kx* से अभिप्रेत है भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा अधिनियम 2019;
- xxiv ¹vf/klpuk* से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना ;
- xxv ¹Hkkjrh; Hk"kt h ifj"kn* से अभिप्रेत है भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय भेषजी परिषद् ;
- xxvi ¹;ktuk ckM* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड ;
- xxvii ¹ikpk;* से अभिप्रेत है किसी महाविद्यालय का प्रधान और इसमें जहाँ प्राचार्य न हों, वह व्यक्ति जो तत्समय के लिए प्राचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया हो और यथा स्थिति प्राचार्य या कार्यकारिणी प्राचार्य की अनुपस्थिति में इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप प्राचार्य;
- xxviii ¹0;kolkf;d f'k{kk* से अभिप्रेत है उस पेशे से जुड़ी शिक्षा जिसमें विशेष प्रशिक्षण या कौशल की आवश्यकता होती है और इसमें चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मसी, फिजियोथेरेपी, ऑकुपेशनल थेरापी एवं कानून शिक्षण आदि शामिल हैं;
- xxix ¹ekU;rk iklr f'k{kd* से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार प्राप्त संस्था में अनुदेश देने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किये गये हैं ;
- xxx ¹Ldy* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या शाखा ;
- xxxi ¹v/;;u fo|ky;* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन विद्यालय;
- xxxii ¹LØhfux lfevr* से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत गठित समिति ;
- xxxiii ¹LofoRr ikf"kr LLFkk* से अभिप्रेत है वैसी संस्थाएँ जो किसी न्यास या सोसाईटी द्वारा स्थापित हों और स्ववित्त पोषित हों एवं स्वास्थ्य विज्ञान में स्नातक या उच्चतर स्तर की डिग्री के लिए पाठ्यक्रमों की शिक्षा दे रहा हो ;
- xxxiv ¹lhuV* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का सीनेट;
- xxxv ¹ifjfu;e*],o: ^fofu;ekoyh* से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत् विश्वविद्यालय का क्रमशः परिनियम एवं विनियमावली ;
- xxxvi ¹rduhdh depkjh* से अभिप्रेत ऐसे कर्मचारी से है जो विश्वविद्यालय के तकनीकी संवर्ग के हों ;
- xxxvii ¹fo'ofok|ky;* से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय;
- xxxviii ¹fo'ofok|ky; vunku vk;kx* से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (अधिनियम-3, 1956) की धारा-4 के अधीन गठित आयोग ;
- xxxix ¹fo'ofok|ky; f'k{kd* से अभिप्रेत है प्राध्यापक, रीडर, सह-प्राध्यापक, लेक्चरर, सहायक प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था में अनुदेश देने या शोध संचालन के लिए नियुक्त किये गए हों और जो परिनियम के द्वारा शिक्षक नामित किये गये हों।
- xl ¹fo'ofok|ky; leh{kk vk;kx* से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-35 के तहत परिभाषित आयोग;
- xli ¹इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिये क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित हों ;

3- fuxeuA&

- ¼1½ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय, उस तिथि के प्रभाव से, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, स्थापित किया जायेगा जिसमें कुलाधिपति और कुलपति सभा के प्रथम सदस्य, विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् एवं शैक्षणिक परिषद् और ऐसे अन्य व्यक्ति जो एतदपश्चात् ऐसे पद पर या सदस्य के रूप में तब तक के लिए नियुक्त रहेंगे जब तक वे ऐसा पद धारित करेंगे या सदस्यता बनी रहे।
- ¼2½ विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संपत्ति को अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययनित करने तथा संविदा करने और उक्त नाम से वाद लाने अथवा अपने विरुद्ध वाद लाये जाने की शक्ति के साथ शाश्वत् उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर रखने वाला पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा।
- ¼3½ विश्वविद्यालय का मुख्यालय, यहाँ अवस्थित होगा जैसा कि सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

4- vfkdkfjrkA&

- ¼1½ विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- ¼2½ व्यावसायिक शिक्षा देने वाले सरकार द्वारा स्थापित अथवा राज्य के विद्यमान विश्वविद्यालय के घटक अथवा भविष्य में स्थापित होने वाले सभी महाविद्यालय एवं संस्थाएँ उस तिथि से विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की पात्रता रखेंगे जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और उस रीति से जो इस निमित्त बनाये गए परिनियम या अध्यादेश अथवा बनायी गयी विनियमावली द्वारा विहित की जाय।
- ¼3½ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्निष्ट किसी बात के होने पर भी, व्यावसायिक शिक्षा देने वाले, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट और राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों अथवा संस्थाओं की उस विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त हो जायेगी, जिसमें ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थाएँ संबद्ध की गयी हों और ऐसे महाविद्यालय और संस्थाएँ उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से इस विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायेंगे।

ijUr | ;g fd mDr iko/kku MhEM fo'ofok |ky; ij ykx| ugh gkxk A

- ¼4½ विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और संस्थाओं पर ऐसी शर्तों और निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा जिससे वह विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, साधक अथवा आनुषांगिक विचार करे एवं सम्बद्धता प्रदान करे।
- ¼5½ किसी न्यास अथवा सोसाईटी द्वारा व्यावसायिक शिक्षा देने वाली स्ववित्तपोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त dj ldx। विश्वविद्यालय सशर्त संबद्धता देने पर परिनियम, अध्यादेश अथवा इस संबंध में बनायी गयी विनियमावली में दी गयी शर्तों के अधीन विचार कर सकेगा और दे सकेगा।
- ¼6½ इस राज्य में अवस्थित स्वास्थ्य विज्ञान के किसी चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान द्वारा, नियुक्त दिवस के पूर्व किसी अन्य विश्वविद्यालय से उपभोग किया जा रहा कोई विशेषाधिकार, ऐसी तिथि के प्रभाव से जैसी कि सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय, वापस ले लिया गया समझा जायेगा।

5- fo'ofok |ky; dk mnn';A& विश्वविद्यालय का उद्देश्य सामान्य रूप से मानव जाति के जीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए वातावरण विकसित करना और स्वास्थ्य विज्ञान का विकास और अनुप्रयोगों के क्षेत्र के संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान और पर्यावरण के ज्ञान को विकसित करना होगा।

विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान, चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान विशेष रूप से उत्कृष्टता के केन्द्र और संस्थान बनाना होगा और अन्य उद्देश्य इस प्रकार होंगे –

- ¼1½ आधुनिक विश्व और समाज की बदलती आवश्यकताओं की अनुक्रिया में स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न धाराओं में पेशेवर शिक्षा विकसित करना।
- ¼2½ स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न धाराओं में पेशेवर शिक्षण से जुड़े मामलों में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए।
- ¼3½ शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रियाओं और प्रणालियों में गुणात्मक सुधार को सुगम बनाना और सुनिश्चित करना।
- ¼4½ स्वास्थ्य विज्ञान के प्रक्षेत्र में ज्ञान के सामाजिक और सीमांत क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सुगम बनाना और सुनिश्चित करना।
- ¼5½ आजीवन सीखने के लिए जरूरतों एवं प्रक्रियाओं को सुगम बनाना और व्यवस्थित करना।
- ¼6½ विश्वविद्यालय इसके संस्थानों या अन्यथा ज्ञान एवं शोध के निष्कर्षों का दुनिया भर में प्रसार करना।

- 7/4 स्वास्थ्य विज्ञान के सभी संकायों, जिनमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति, दंत चिकित्सा, उपचर्या, औषधि, विभिन्न पैरामेडिकल विधाएँ, यथा—चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक, फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनल थेरापी, स्पीच थेरापी, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति अंतर्विभागीय क्षेत्र यथा—स्वास्थ्य प्रबन्धन, स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था शामिल है, की शिक्षा के स्तरमान में एकरूपता स्थापित करना, ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता के संवर्धन एवं वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए और स्वास्थ्य विज्ञान की सभी पद्धतियों की आपसी समझ पर सभी स्तरों पर शैक्षणिक उत्कृष्टता के उच्चतम स्तरमान को आधुनिक बनाना, सुधारना एवं उपलब्धि का निरन्तर लक्ष्य रखना;
- 8/4 स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित एवं सुसंगत सभी विधाओं, विशेषतः वे जो सम्प्रति स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण में शामिल नहीं हैं, को एकीकृत करते हुए अध्ययन केन्द्रों को स्थापित एवं विकसित करना। इसमें जनसंख्या विज्ञान, स्वास्थ्य पद्धति शोध, स्वास्थ्य सेवा शोध, परिचालन शोध, स्वास्थ्य पद्धतियाँ एवं स्वास्थ्य सेवाएँ प्रबंधन, जैव सूचना विज्ञान, दूरमिति, मेडिकल अनुलिपिकरण, महामारी विज्ञान संबंधी, शोध प्रावैधिकी, स्वास्थ्य विज्ञान में सतत शिक्षण और विज्ञान की ऐसी शाखा, जिसे शामिल किया जाना समीचीन समझा जाय, शामिल किये जायेंगे;
- 9/4 विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान केन्द्रों को बनाने और बढ़ावा देने के लिए और ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवश्यकता आधारित प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए।
- 10/4 शिक्षकों के लिए उनके संबंधित और अंतः विषय क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार की एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- 11/4 ऐसे प्रावधान करना जिसमें संबद्ध महाविद्यालय अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें।
- 6- fo'ofok; dh 'kfDr; ,o dR;A& विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे :-
- 1/4 ज्ञान के विकास तथा प्रचार-प्रसार के लिए व्यावसायिक, प्रशिक्षण एवं शोध को विकसित एवं समुन्नत करने हेतु प्रावधान करना ;
- 2/4 शैक्षिक एवं प्रशासनिक पदों का सृजन करना ;
- 3/4 उन शक्तों के अधधीन जो विश्वविद्यालय विनिश्चित करे, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट प्रदत्त करना और परीक्षाओं, मूल्यांकन अथवा जाँच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिग्री या अन्य शैक्षणिक उपाधि देना और किसी अच्छे एवं उपयुक्त कारण से इस तरह के किसी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक उपाधि देना और किसी अच्छे एवं उपयुक्त कारण से इस तरह के किसी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ वापस लेना ;
- 4/4 परिनियम द्वारा विहित रीति से मानक डिग्री या अन्य उपाधि देना ;
- 5/4 पुरस्कार, पदक, शोध छात्रवृत्ति, प्रदर्शनी एवं फेलोशीप संस्थित करना ;
- 6/4 विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित आचार्य पद प्रिंसिपलशीप, प्रोफेसरशीप, रीडरशीप एवं लेक्चरशीप तथा अन्य शिक्षण तथा शैक्षणिक हस्तियाँ संस्थित करना तथा ऐसे आचार्यपद, प्रिंसिपलशीप, रीडरशीप, लेक्चरशीप तथा अन्य शिक्षण एवं शैक्षणिक पदों पर हस्तियों को नियुक्त करना ;
- 7/4 व्यक्तियों को प्राध्यापक, रीडर-सह-प्राध्यापक या लेक्चरर/सहायक प्राध्यापक के रूप में या अन्य को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में मान्यता देना ;
- 8/4 अतिथि प्राध्यापक, सेवामुक्त प्राध्यापक, सलाहकार, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर अथवा अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्रगति में योगदान करें ;
- 9/4 अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, पुनरुपादन और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शियाँ, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि का आयोजन करना।
- 10/4 स्टाफ की सभी कोटियों की सेवाओं की उनके आचार संहिता सहित, शक्तों को अधिकथित करना ;
- 11/4 विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अवस्थित महाविद्यालयों या संस्थाओं को अपना विशेषाधिकार देना तथा अपनी संबद्धता स्वीकृत करना तथा परिनियम या अध्यादेश या विनियमावलियों द्वारा यथा विहित शक्तों के अनुसार पूर्ण संबद्धता सहित सभी विशेषाधिकारों या उनमें से किसी को वापस लेना ;
- 12/4 भारत या विदेश में उच्चतर शिक्षण के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकार अथवा संस्था या शोध निकायों से इस प्रयोजनार्थ जो विश्वविद्यालय विनिश्चित करें यथा विहित रीति से सहकार करना, सहयोग तथा सहयुक्त करना;
- 13/4 स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं के छात्र पर प्राभार्य शुल्क एवं अन्य शुल्कों को विनियमित करना ;
- 14/4 परीक्षा, मूल्यांकन अथवा जाँच की किसी अन्य पद्धति सहित विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाओं में नामांकन के मानकों का विनिश्चय करना ;

- 15% विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हॉस्टल, हॉल तथा आवास की स्थापना करना तथा मान्यता देना, उनके स्वास्थ्य और समाज कल्याण की समुन्नति के लिए व्यवस्था करना तथा संबद्ध महाविद्यालयों एवं विशेषाधिकार प्राप्त संस्थाओं का मार्गदर्शन करना ;
- 16% फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययन वृत्ति, पदक तथा पुरस्कारों को संस्थित करना तथा देना ;
- 17% संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रबंधन का आचार संहिता बनाना ;
- 18% छात्रों एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवृत्त कराना और इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक अध्यापन करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;
- 19% उपकृति, चंदा और अनुदान प्राप्त करना तथा न्यास एवं दातव्य संपत्तियों सहित, विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ स्थावर एवं गम संपत्ति को अर्जित करना, धारित करना, प्रबंधन करना तथा व्ययनित करना ;

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कोई स्थावर संपत्ति व्ययनित नहीं की जायेगी।

- 20% कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति से उधार लेना या देना, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति से उधार देना एवं प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ धन उधार लेना ;
- 21% अध्ययन के विषय, विशिष्टीकरण के क्षेत्रों, शिक्षा कौशल तथा राज्य में तकनीकी मानव शक्ति के स्तरों के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों आधारों पर आवश्यकताओं का निर्धारण करना तथा इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रोग्राम आरम्भ करना ;
- 22% विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों के कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र का विकास करना ;
- 23% विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सभी ऐसे अन्य कार्य तथा कुछ भी करना जो आवश्यक, आनुषांगिक तथा सहायक हो ;
- 24% पारितोषिक, पदक, शोध, अध्ययन वृत्ति, प्रदर्शनी तथा फेलोशीप संस्थित करना ;
- 25% शोध, रूपांकन (डिजाईन) तथा सामाजिक आवश्यकताओं से सुसंगतता रखने वाले विकास कार्यक्रमों और राज्य के विकास के कार्यक्रमों को समुन्नत करना ;
- 26% पूरक सुविधाओं की प्राप्ति हेतु उद्योगों और सरकार की सहकारिता को सूचीबद्ध करने हेतु उपायों को आरम्भ करना;
- 27% ज्ञान, प्रशिक्षण देने तथा पाठ्यपुस्तक एवं अनुदेशात्मक सामग्रियों की तैयारी करने में लगातार प्रयोग को सुकर बनाना ;
- 28% लगातार मूल्यांकन एवं पुनः अभिसंस्करण एवं शैक्षणिक उपायों के पुनरुद्धार के प्रगतिशील भूमिका की व्यवस्था करना;
- 29% अपने शिक्षकों एवं छात्रों के बीच उद्योग-उपक्रमी योग्यता को अग्रसर करना ;
- 30% LokLF; विज्ञान की अपेक्षाओं तथा उस व्यवसाय में अवसर तथा उसके दायित्वों और समाज के प्रति सेवाओं के संबंध में जनता को शिक्षा देना।

7- fyx] oxl ;k iFk dk /;ku u j[kr; g, lHkh 0;fDr;k d; fy, fo'fo|ky; dk [kyk jgukA& विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे उनकी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग जो भी हो, खुला रहेगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि किसी व्यक्ति पर कोई जाँच, चाहे उसका धार्मिक विश्वास अथवा विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए उसको हकदार बनाने हेतु अथवा उसमें कोई पद धारित करने के लिए अथवा विश्वविद्यालय के छात्र अथवा स्नातक के रूप में नामांकित होने के लिए अथवा उसके विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने हेतु अंगिकार या अधिरोपित किया जाय।

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि महिला, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों अथवा समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए नियोजन अथवा नामांकन के लिए विशेष प्रावधान करने से विश्वविद्यालय को रोका गया है।

8- ukekdu ei vkj{k.kA& बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय-समय पर लागू उर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों को अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रत्येक संस्थान एवं महाविद्यालय में पाठ्यक्रमवार एवं कोटिवार कुल सीटों का एक तिहाई महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यह आरक्षण राज्य स्तर पर विशेषज्ञतावार लागू होगा।

परन्तु, यह कि इस लाभ के लिए केवल बिहार राज्य की निवासी महिलायें ही पात्र होगी। योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी शैक्षणिक सत्र में रिक्त सीटों को संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इन प्रावधानों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

9- dykf/kifrA&

- ¼1½ बिहार के मुख्यमंत्री अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
- ¼2) कुलाधिपति, जब उपस्थित हों, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- ¼3½ कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त, यथास्थिति, महाविद्यालयों या संस्था तथा उसके भवनों, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों और यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था द्वारा संचालित परीक्षा, शिक्षण एवं किये गये अन्य कार्यों का भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे या जिन्हें वे निदेशित करें, निरीक्षण करवाने तथा, यथास्थिति, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में दी गयी रीति से जाँच पड़ताल करवाना।
- ¼4½ कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालयों या संस्थाओं के शासी निकाय को, उनका निरीक्षण या जाँच पड़ताल करवाने हेतु अपने आशय की सूचना देंगे तथा यथास्थिति, विश्वविद्यालय या शासी निकाय को ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कुलाधिपति के समक्ष, ऐसा अभ्यावेदन, जो आवश्यक विचार किया जाय, सूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, देने का अधिकार होगा।
- ¼5½ विश्वविद्यालय या शासी निकाय द्वारा दिये गए अभ्यावेदन पर विचारण के बाद, यदि कोई हो, कुलाधिपति इस धारा की उपधारा (2) में यथा निर्देशित निरीक्षण या जाँच पड़ताल करवा सकेंगे।
- ¼6½ जहाँ निरीक्षण या जाँच-पड़ताल कुलाधिपति द्वारा करवायी गयी हो वहाँ विश्वविद्यालय या शासी निकाय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे उस निरीक्षण अथवा जाँच पड़ताल में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।
- ¼7½ कुलाधिपति इस धारा की उपधारा (2) में यथानिर्देशित उस निरीक्षण या जाँच-पड़ताल के परिणाम के संबंध में कुलपति को संबोधित कर सकेंगे और कुलपति, कुलाधिपति के विचारों को, उस सलाह के साथ, जो उसपर कार्यवाई करने हेतु कुलाधिपति द्वारा दिया गया हो, कार्यकारिणी परिषद् या शासी निकाय को संसूचित कर देंगे।
- ¼8½ कुलाधिपति, यदि निरीक्षण या जाँच-पड़ताल, विश्वविद्यालय द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में निरीक्षण, जाँच-पड़ताल की गयी हो तो उस पर अपने विचार, उस निरीक्षण या जाँच-पड़ताल के परिणाम के बारे में कुलपति के माध्यम से शासी निकाय को संबोधित करेंगे तथा उस पर कार्यवाई करने की ऐसी सलाह देंगे, जैसी चाहें।
- ¼9½ कार्यकारिणी परिषद् कुलपति के माध्यम से, उस कार्यवाई को, यदि कोई हो, जिसका उस निरीक्षण अथवा जाँच-पड़ताल के परिणाम पर करने का प्रस्ताव हो अथवा की गयी हो, कुलाधिपति को संसूचित करेंगे।
- ¼10½ जहाँ, यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद् या शासी निकाय, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के संतोष के अनुरूप कार्यवाई नहीं करे वहाँ कुलाधिपति कार्यकारिणी परिषद् या शासी निकाय द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण अथवा दिये गए अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जैसा वे उचित समझें तथा यथास्थिति, कार्यकारिणी परिषद् अथवा शासी निकाय उन निदेशों का अनुपालन करेगी/करेगा।
- ¼11½ इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही को बातील कर सकेंगे जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश के अनुरूप न हो :
परन्तु कोई ऐसा आदेश करने के पूर्व, कुलाधिपति, रजिस्ट्रार को कारण दर्शाने हेतु कहेंगे कि क्यों नहीं ऐसा आदेश पारित किया जाय और यदि युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर कारण दर्शाया गया हो तो वे उस पर विचार करेंगे।
- ¼12½ विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों के बीच किसी भी मामले पर मतभेद की दशा में जिसे अन्यथा हल नहीं किया जा सकता है, कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।
- ¼13½ कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होगी जो परिनियम द्वारा विहित की गयी हों।

10- fo'ofok | ky ; d i n k f / k d k j h A & विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :-

1. कुलपति,
2. डीन,
3. रजिस्ट्रार,
4. वित्त पदाधिकारी,
5. परीक्षा नियंत्रक,
6. पुस्तकालयाध्यक्ष,

7. ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होना घोषित किया जाय।

11- dyifrA&

- ¼1½ कुलपति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले शिक्षाविद अथवा प्रतिष्ठित चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान की अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ मानव संसाधन विकास में पर्याप्त अनुभव रखने वाले एक प्रशासक होंगे।
- ¼2½ कुलपति, कुलाधिपति द्वारा इस धारा की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित तीन से अन्यून व्यक्तियों (नाम वर्णक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनल से नियुक्त किये जायेंगे :
परन्तु कुलाधिपति उस प्रकार अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को अनुमोदित नहीं करें तो वे नयी अनुशंसाओं की माँग कर सकेंगे।
- ¼3½ इस धारा की उपधारा (2) में निर्देशित समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें एक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, एक कुलाधिपति द्वारा और एक सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होंगे और सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति समिति के संयोजक होंगे :
परन्तु समिति का कोई भी सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होगा :
परन्तु और कि पैनल उन अभ्यर्थियों के बीच से तैयार किया जायेगा जो अपना बायोडाटा समर्पित करेंगे अथवा विज्ञान, चिकित्सा/दंत विज्ञान, प्रावैधिकी, प्रबंधन या किसी अन्य सुसंगत क्षेत्र में कुछ ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अनुशंसित किये जायेंगे।
- ¼4½ प्रथम कुलपति सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
- ¼5½ कुलपति अपना पदधारण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिये पद धारण करेंगे; कार्यकाल अथवा पचहत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किये जायेंगे और अगले कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे :
परन्तु कुलाधिपति कार्य की समाप्ति के बाद, कुलपति से उस अवधि तक, जो कुल एक वर्ष से अधिक उनके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, पद पर बने रहने की अपेक्षा कर सकेंगे।
परन्तु यह भी कि कुलपति के पद पर बने रहने के लिये अधिकतम आयु सीमा पचहत्तर वर्ष होगी।
- ¼6½ कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवाशर्त वही होंगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।
- ¼7½ यदि कुलपति का पद मृत्यु, पद-त्याग, अथवा अन्यथा खाली हो जाय अथवा यदि अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से वे अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाय तो कुलाधिपति किसी लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति को कुलपति के कृत्यों का अनुपालन तब तक करने के लिए पदानिहित करेंगे तब तक, यथास्थिति, नये कुलपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते अथवा जब तक विद्यमान कुलपति अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो जाते।

12- dyifr dh 'kfDr;k] dRr0; ,o dR;A&

- ¼1½ कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यपालक एवं शैक्षणिक पदाधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के विनिश्चयों को प्रभावी करेंगे।
- ¼2½ कुलपति, यदि उनकी राय हो कि किसी विषय पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, इस अधिनियम द्वारा/के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार पर प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे और अगली बैठक में उनके द्वारा उस विषय में उस प्राधिकार पर की गयी कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन देंगे :

परन्तु शक्ति का इस प्रकार प्रयोग केवल आपात स्थितियों में किया जायेगा और किसी भी दशा में पद-सृजन और उत्क्रम तथा उसपर नियुक्तियों के संबंध में नहीं :

परन्तु और कि संबंधित प्राधिकार की राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तो उस विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेंगे जिनका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा :

परन्तु और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो तो उसे, जिस तिथि से जिस तिथि को विनिश्चय, उसे संसूचित किया गया हो, तीन माह के भीतर कुलाधिपति को उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और तब कुलाधिपति कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई को संपुष्ट, उपांतरित अथवा उलट सकेंगे।

- ¼3½ कुलपति, यदि उनकी राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार की शक्तियों के बाहर है अथवा किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो संबंधित प्राधिकार से उस विनिश्चय का पुनरीक्षण उस विनिश्चय की तिथि से साठ दिनों के भीतर करने हेतु कहेंगे और यदि वह प्राधिकार उस विनिश्चय का पुनरीक्षण पूर्णतः या अंशतः करने से इन्कार करे

अथवा उसके द्वारा उक्त साठ दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाय तो वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित कर दिया जायेगा, जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

¼4½ कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

¼5½ कुलपति शासी निकाय, वित्त समिति, एकेडमिक काउन्सिल एवं प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

¼6½ कुलपति, कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे एवं कार्यकारिणी परिषद्, अकादमिक परिषद् और वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

13- dyifr dk in l: gV;k t kukA&

¼1½ ऐसी जाँच-पड़ताल के बाद जैसा आवश्यक विचार किया जाय, यदि कुलाधिपति को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि कुलपति –

- (i) इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के अधीन उन पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में असफल हो गये हैं, अथवा
- (ii) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल रीति से कार्य कर किये हैं, अथवा
- (iii) विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं, तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारण अधिकथित करते हुए और राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति से, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट तिथि से, अपने पद से त्याग पत्र देने की अपेक्षा कर सकेंगे।

¼2½ उपधारा (1) के अधीन तक तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक प्रस्तावित विनिर्दिष्ट आधारों, जिस पर वह कार्रवाई प्रस्तावित हो, को अधिकथित करते हुए, एक सूचना तामिल न की गयी हो और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर कुलपति को न दे दिया गया हो।

¼3½ इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को/से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पदत्याग कर दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जायेगा।

14- Mhu A& डीन उस रीति से नियुक्त किये जायेंगे और उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उन कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये गए हों।

15- jftLVkj A&

¼1½ रजिस्ट्रार उस रीति से तथा उन निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

¼2½ रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय के निमित्त एकरारनामा करने, दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेखों को अधिप्रमाणीकृत करने की शक्ति होगी तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

16- foRr inkf/kdkjh A & वित्त पदाधिकारी, उस रीति से और उन नियमों एवं सेवा शर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

17- ijh{kk fu;=d A & परीक्षा नियंत्रक, उस रीति से और उन निबंधन एवं सेवाशर्तों पर नियुक्त किये जायेंगे तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें। तथापि, विश्वविद्यालय के प्रथम परीक्षा नियंत्रक सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे तथा तीन वर्षों तक अथवा परिनियम में विहित रीति के अनुसार नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक पद धारण करेंगे।

18- vU; inkf/kdkjh A & विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियाँ तथा कर्तव्य वही होंगे जो परिनियम द्वारा विहित किए जायें।

19- fo'ofokky; di ikf/kdkj A & विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :-

- (i) सीनेट,
- (i) कार्यकारिणी परिषद्
- (ii) शैक्षणिक परिषद्
- (iii) अध्ययन बोर्ड
- (iv) योजना बोर्ड
- (v) संबद्धता बोर्ड
- (vi) विद्या शाखा

(vii) वित्त समिति और

(viii) अन्य ऐसे प्राधिकार जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जायें।

20- 1huV A & सीनेट में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे –

- (i) कुलाधिपति,
 - (ii) मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार,
 - (iii) मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार,
 - (iv) मंत्री, वित्त विभाग, बिहार सरकार,
 - (v) सरकार के द्वारा मनोनीत दो विधायक और एक विधान पार्षद जो एक वर्ष के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर नामित होंगे,
 - (vi) मुख्य सचिव, बिहार सरकार,
 - (vii) कुलपति,
 - (viii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार,
 - (ix) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एक अधिकार जो उसके द्वारा नामित उच्च शिक्षा के प्रभारी या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो,
 - (x) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार एक अधिकार जो उसके द्वारा नामित प्रभारी या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो,
 - (xi) सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार प्रभारी चिकित्सा शिक्षा
 - (xii) निदेशक प्रमुख, चिकित्सा शिक्षा, बिहार सरकार,
 - (xiii) निदेशक प्रमुख, नर्सिंग एवं पारामेडिकल, बिहार सरकार,
 - (xiv) निबंधक
 - (xv) अध्यक्ष, छात्र संघ,
 - (xvi) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना,
 - (xvii) निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना,
 - (xviii) पाँच प्राचार्य जिसमें संबंधित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के एक प्राचार्य, सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय से एक, सरकारी आयुष चिकित्सा महाविद्यालय से एक, सरकारी नर्सिंग कॉलेज से एक तथा सरकारी फार्मसी महाविद्यालय/फिजियोथेरेपी और ऑक्जूपेशनल थेरेपी/पारामेडिकल संस्थानों के एक प्राचार्य सहित पाँच प्राचार्य शामिल हैं यह सरकार के द्वारा नामित किया जाना है जिनकी अवधि तीन सालों के लिये होगी,
 - (xix) स्वास्थ्य विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से सरकार द्वारा चार व्यक्तियों को इस शर्त के साथ अधिनामित किया जायेगा कि इनमें से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति होगा और उनमें एक महिला सदस्य नामित होगी,
 - (xx) प्रत्येक सर्वोच्च नियामक संस्थान से एक सदस्य, और
 - (xxi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और प्रबन्धकीय कर्मचारी में से एक सदस्य।
- १/२ रजिस्ट्रार सीनेट का पदेन सचिव होगा।
- १/३ जब कोई व्यक्ति सीनेट का सदस्य बन जाता है तो उसकी सदस्यता इस पद से समाप्त हो जायेगी।
- १/४ पदेन सदस्यों के अलावा सीनेट के मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
- १/५ सीनेट के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी यदि वह इस्तीफा दे दे, विकृति दिमाग का हो, दिवालिया हो जाता हो या नैतिक अद्यमता से जुड़े अपराधिक अपराध के लिये दोषी ठहराया जाता है। कुलपति, कुलसचिव के अलावा कोई सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्वकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है या यदि वह पदेन सदस्य ना होने के कारण कुलाधिपति के अनुमति के बिना सीनेट की बैठक में लगातार तीन बार भाग लेने में असफल है।

- ¼6½ पदेन सदस्य के अलावा सीनेट का कोई सदस्य कुलाधिपति को संबंधित एक पत्र के द्वारा अपने पद से इस्तिफा दे सकता है और ऐसा इस्तिफा स्वीकार किये जाने के तुरन्त बाद प्रभावी होगा।
- ¼7½ सीनेट में किसी भी रिक्ति को संबंधित नामांकन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय की शेष अवधि के लिये और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर नामांकन द्वारा भरा जायेगा।
- 21- ¼huV dh 'kfDr ;k ,o dR;A &
- ¼1½ सीनेट विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकरण होगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करेगा और उसके पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य भी होंगे। अर्थात्
- (i) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तैयार रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और बजट अनुमानों पर विचार करना और उन्हें पारित करना और संशोधन के साथ या बिना उन्हें लागू करना ;
- (ii) विश्वविद्यालय के मामलों के प्रशासन से संबंधित कानून बनाना जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अधिकारियों द्वारा उनके कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्धारित करना।
- ¼2½ (i) सीनेट की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और सीनेट की वार्षिक बैठक का आयोजन कुलाधिपति द्वारा निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।
- (ii) कुलाधिपति, जब कभी वह ठीक समझे और सीनेट के कम-से-कम 15 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग पर सीनेट की एक विशेष बैठक बुला सकेंगे।
- (iii) सीनेट की प्रत्येक बैठक के लिए चौदह दिन का नोटिस दिया जाएगा तथापि आपात स्थिति में कुलाधिपति द्वारा अल्प सूचना पर सीनेट की बैठक बुलाई जा सकती है।
- (iv) सीनेट की नियमावली में मौजूद एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
- (v) प्रत्येक सदस्यों के पास मत देने का अधिकार होगा यदि सीनेट द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता है तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास इसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा।
- (vi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस अधिनियम या नियमों द्वारा प्रदत्त या सौंपे जा सकते हैं।
- 22- dk;dkfj.kh ifj"kn A &
- ¼1½ कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारिणी निकाय होगी।
- ¼2½ कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे –
- (i) विश्वविद्यालय के कुलपति ;
- (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो ;
- (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो ;
- (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से अन्यून हो ;
- (v) निदेशक प्रमुख, चिकित्सा शिक्षा, बिहार सरकार ;
- (vi) निदेशक प्रमुख, पारामेडिकल और नर्सिंग, बिहार सरकार ;
- (vii) विश्वविद्यालय के कुलसचिव ;
- (viii) कुलपति द्वारा नामित किये जाने वाले तीन शिक्षक, जिनमें से एक विभाग के प्रमुखों में से, एक प्राध्यापक और एक सह-प्राध्यापक से एक-एक वर्ष की अवधि के लिये चक्रानुक्रम में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से होगा।
- ¼3½ कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के अध्यक्ष होंगे ;
- (i) जहां कोई व्यक्ति अपने पद या नियुक्ति के कारण कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य बन गया हो, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी जब वह उस पद पर नहीं रहे या उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाय;
- (ii) पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी परिषद् के मनोनीत सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी ;
- (iii) कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य सदस्य नहीं रहेगा यदि वह त्यागपत्र दे देता है या विकृत दिमाग का हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या नैतिक अधमता से जुड़े दांडिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। कुलपति तथा रजिस्ट्रार

के अलावा कोई अन्य सदस्य भी सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है ;

- (iv) पदेन सदस्य के अलावा कार्यकारिणी परिषद् का कोई सदस्य कुलपति को संबोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र उसके द्वारा स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद प्रभावी होगा ;
- (v) कार्यकारिणी परिषद् में किसी भी रिक्ति को संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए नामांकन से भरा जाएगा तथा रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर, ऐसा नामांकन प्रभावी नहीं रहेगा।

4/4 कार्यकारिणी परिषद् की शक्तियाँ, कार्य और बैठकें ;

- (i) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारिणी प्राधिकरण होगा और इस प्रकार इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गये परिनियमों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए इसे आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी, और इस प्रयोजन के लिए और इसमें उपबंधित विषयों के संबंध में भी विनियम बना सकेगी।
- (ii) कार्यकारिणी परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य होंगे ;
 - (क) सीनेट की वार्षिक बैठकों के लिए निम्नलिखित को तैयार करना और प्रस्तुत करना ;
 - (ख) विश्वविद्यालय के कामकाज पर एक रिपोर्ट
 - (ग) खातों का विवरण ;
 - (घ) आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव ;
 - (ङ0) विश्वविद्यालय के वित्त, खातों, निवेशों, संपत्तियों, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना और इस प्रयोजन के लिए समितियों का गठन करना और ऐसी समितियों या विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों को अधिकार सौंपना जो वह उचित समझे ;
 - (च) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना ;
 - (छ) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें बदलाव करना, उसे पूरा करना और रद्द करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे ;
 - (ज) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर और उपकरण और अन्य साधन उपलब्ध कराना ;
 - (झ) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की किसी भी शिकायत को लेना, उस पर न्याय निर्णय करना और यदि वह ठीक समझे तो उसका निवारण करना ;
 - (ञ) प्रशासनिक, अनुसंधानीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या और परिलब्धियों का निर्धारण करना, ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों पर विनिर्दिष्ट करना जो इस निमित्त बनाए गए परिनियमों एवं विनियमों द्वारा विहित किया जाय ;
 - (त) परीक्षकों और अनुसूचकों (मॉडरेटर्स) को नियुक्त करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा एवं अन्य भत्ते अकादमिक परिषद् से परामर्श करने के बाद नियत करना ;
 - (थ) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना; तथा
 - (द) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो आवश्यक समझे जाएँ या इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित किया जाय।
- (iii) (क) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कम से कम चार महीने में एक बार होगी और ऐसी बैठकों की कम से कम चौदह दिन की सूचना दी जायेगी ;
- (ख) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक कुलपति के निर्देशों के अधीन या कार्यकारिणी परिषद् के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर रजिस्ट्रार द्वारा बुलाई जाएगी;
- (ग) कार्यकारिणी परिषद् के आधे सदस्य से किसी भी बैठक की गणपूर्ति होगी ;
- (घ) सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में, बहुमत की राय अभिभावी होगी ;
- (ङ0) कार्यकारिणी परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता हो, तो यथास्थिति कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष या उस बैठक की

अध्यक्षता करने वाला सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;

- (च) कार्यकारिणी परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी ;
- (छ) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा तत्काल कार्यवाई आवश्यक हो जाती है, तो कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचलन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। इस प्रकार लिए गए निर्णय तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दी जाती हो। ऐसे निर्णय कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल सूचित किये जायेंगे। यदि कार्यकारिणी परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

23- vdknfed ifj"kn A &

- 1- अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- 2- अकादमिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :
 - (i) कुलपति-अध्यक्ष;
 - (ii) सभी डीन;
 - (iii) अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड;;
 - (iv) प्रतिष्ठित शिक्षाविदों से या पेशेवर विद्वानों से या प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामित सेवा में नहीं हैं;
 - (v) शीर्ष पेशेवर नियामक निकायों में से प्रत्येक से एक;
 - (vi) निदेशक प्रमुख, चिकित्सा शिक्षा, बिहार सरकार;
 - (vii) बिहार के सरकारी चिकित्सा/अन्य स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालयों के दस प्राचार्य तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम से बिहार सरकार द्वारा मनोनीत किए जायेंगे;
 - (viii) कुलपति द्वारा नामित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य स्वास्थ्य विज्ञान महाविद्यालय के शैक्षणिक चार सदस्य— एक-एक क्रमशः प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर के प्रतिनिधि होंगे; और
 - (ix) निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना।
- 3- अकादमिक परिषद् की शक्तियाँ, कार्य और बैठक ।—अधिनियम, परिनियम और विनियमों के प्रावधानों और कार्यकारिणी परिषद् के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मामलों का प्रबंधन करेगी और विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों और कार्यों का प्रयोग और पालन करेगी; अर्थात्
 - (i) सामान्य परिषद् या कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट या सौंपे गए किसी भी मामले पर रिपोर्ट करना;
 - (ii) विश्वविद्यालय में पदों के सृजन, उन्मूलन या वर्गीकरण और देय परिलब्धियों और उससे जुड़े कर्तव्यों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना ;
 - (iii) संकायों के संगठन के लिए योजनाओं को तैयार करना और उपांतरित करना या संशोधित करना, और ऐसे संकायों को उनसे संबंधित विषयों को सौंपना और कार्यकारिणी परिषद् को किसी भी संकाय के उन्मूलन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट करना;
 - (iv) विश्वविद्यालय के अधीन अनुसंधान को बढ़ावा देना और समय-समय पर इस तरह के अनुसंधान पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;
 - (v) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
 - (vi) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिग्री की मान्यता की सिफारिश करना और विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्री के संबंध में उनकी समकक्षता का निर्धारण करना;
 - (vii) सामान्य परिषद् द्वारा स्वीकार की गई किसी भी शर्त के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा का समय, तरीका और शर्तें तय करना और उसी के पुरस्कार के लिए सिफारिश करना;

- (viii) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाने और उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा और अन्य खर्चों के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् को सिफारिशें करना;
 - (ix) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था और उन्हें आयोजित करने की तारीख की सिफारिश करना;
 - (x) विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा या समीक्षा करना या ऐसा करने के लिए समितियों या पदाधिकारियों को नियुक्त करना और डिग्री, सम्मान, लाइसेंस, उपाधि और सम्मान के अंक प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में सिफारिशें करना;
 - (xi) वजीफा, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार की सिफारिश करना और विनियमों के अनुसार और ऐसी अन्य शर्तों पर अन्य पुरस्कार देना जो पुरस्कारों से संलग्न किए जायें;
 - (xii) निर्धारित या अनुशंसित पाठ्य पुस्तकों की सूचियों को अनुमोदित या संशोधित करना एवं प्रकाशित करना और अध्ययन के लिए पाठ्यक्रमों एवं पाठ्य विवरणों को अनुमोदित करना;
 - (xiii) ऐसे प्रपत्रों और पंजियों (रजिस्ट्रों) को अनुमोदित करना जो समय-समय पर विनियमों द्वारा अपेक्षित हों;
 - (xiv) शैक्षणिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम, परिनियम और इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।
- 4- (i) अकादमिक परिषद् जितनी बार आवश्यक हो, बैठक करेगी, लेकिन एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक होगी;
- (ii) अकादमिक परिषद् के मौजूदा सदस्यों में से आधे सदस्यों से अकादमिक परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी;
- (iii) सदस्यों के बीच मतभेद होने की दशा में, बहुमत की राय अभिभावी होगी;
- (iv) अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष सहित अकादमिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि अकादमिक परिषद्, द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर मतों की समानता होती है तो यथास्थिति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अपने मत के अलावा एक निर्णायक मत होगा;
- (v) अकादमिक परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए बैठक में चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी;
- (vi) यदि अकादमिक परिषद् द्वारा तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो जाती है, तो अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष अकादमिक परिषद् के सदस्यों को कागजात के संचालन द्वारा कार्य करने की अनुमति दे सकेंगे। लिया गया निर्णय तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि अकादमिक परिषद् के सदस्यों को तत्काल दी जाएगी। यदि अकादमिक परिषद् निर्णय लेने में विफल रहती है, तो मामला कुलाधिपति को सन्दर्भित किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

24- ;k t uk ckM A &

1/2 योजना बोर्ड विश्वविद्यालय की उन्नति और विकास के लिए तथा इसके उद्देश्यों का प्राप्त करने हेतु योजनाओं की तैयारी के लिए प्रधान निकाय होगा।

(2) योजना बोर्ड का गठन निम्नलिखित से होगा :-

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार;
- (ग) कुलपति;
- (घ) मुख्य सचिव, बिहार सरकार;
- (ङ.) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार;
- (च) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार;
- (छ) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार;
- (ज) प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना
- (झ) निदेशक, इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना;
- (ञ) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार;
- (त) कुलाधिपति द्वारा नामित दो प्राध्यापक;
- (थ) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से नामित एक व्यक्ति।

- (3) योजना बोर्ड वर्ष में एक बार बैठक करेगा और विश्वविद्यालय के भविष्य के कार्यक्रमों की योजना तैयार करेगा और अकादमिक परिषद् और कार्यकारिणी परिषद् को इसकी सिफारिश करेगा। यह जब कभी आवश्यक हो विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में दीर्घकालीन योजनाओं की भी सिफारिश करेगा।

25- 1(c) rk ckM A&

- 1/2 संबद्धता बोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को संबद्धता देने के लिए उत्तरदायी होगा।
2/2 संबद्धता बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल तथा उसके कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

26- foRr lfeRr A& वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य परिनियम द्वारा विहित किये जायेंगे।

27- vU; ikf/kdkj A& अन्य प्राधिकारों का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे, जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किये जाये और परिनियम द्वारा विहित किये जायें।

28- ifjfu;e cuku dh 'kfDr A & इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए परिनियम का प्रावधान किया जा सकेगा :-

- 1/2 विश्वविद्यालय के प्राधिकार तथा अन्य निकायों का गठन जो समय-समय पर गठित किया जाना आवश्यक पाया जाय तथा शक्तियाँ एवं कृत्य।
2/2 विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारों एवं निकायों के सदस्यों की नियुक्ति तथा उन्हें पद पर बनाये रखना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना तथा उन प्राधिकारों एवं अन्य निकायों से संबंधित विषय जिनके लिए प्रावधान करना आवश्यक एवं वांछनीय हो ;
3/2 विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य तथा उनकी सेवा के नियम एवं सेवाशर्त ;
4/2 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, अन्य शैक्षणिक स्टाफ अथवा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी परिलब्धियाँ ;
5/2 एक संयुक्त योजना उपक्रम हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की रीति, उनकी सेवा के नियम एवं सेवाशर्त तथा उनकी परिलब्धियाँ ;
6/2 पेंशन या भविष्य निधि का गठन तथा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के कर्मचारियों के लाभ के लिए बीमा स्कीम की स्थापना ;
7/2 विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के कर्मचारियों की वरीयता को निर्धारित करने वाले सिद्धांत ;
8/2 कर्मचारियों अथवा छात्रों तथा विश्वविद्यालयों के बीच विवादों के मामलों में माध्यस्थता की प्रक्रिया;
9/2 विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विरुद्ध कर्मचारी अथवा छात्र द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील की प्रक्रिया ;
10/2 शर्त जिनके अधीन महाविद्यालय और संस्थाओं को विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार मिल सकेगा तथा शर्त जिनके अधीन विशेषाधिकार वापस लिया जा सकेगा ;
11/2 विशेषाधिकार मिले महाविद्यालयों और संस्थाओं के शासी निकाय का गठन तथा उन महाविद्यालयों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण ;
12/2 स्वायत्ता का विस्तार, जिसे कोई महाविद्यालय या संस्था एक स्वायत्त महाविद्यालय संस्था के रूप में प्रयोग कर सकेंगे ;
13/2 मानद डिग्रियाँ देना ;
14/2 डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य उपाधियों की वापसी ;
15/2 फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, मेडल तथा इनाम एवं अन्य प्रोत्साहन ;
16/2 विश्वविद्यालय कर्मचारियों तथा छात्रों और महाविद्यालयों एवं संस्थाओं के बीच अनुशासन बनाए रखने ;
17/2 आचार्य पदों (चेयर्स), विद्या शाखाओं, विभागों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना ;
18/2 विश्वविद्यालयों के प्राधिकारों या पदाधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और ;
19/2 सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन परिनियम द्वारा उपबंध किये गये हों अथवा किये जायें।

29- ifjfu;e dl; kuk; k tk; xk A &

- 1/2 प्रथम परिनियम सीनेट की अनुशंसा पर सरकार द्वारा बनाया जायेगा।
2/2 कार्यकारिणी परिषद्, समय-समय पर, नया अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा अथवा इस धारा की उपधारा (1) में निर्देशित परिनियम को संशोधित अथवा निरसित कर सकेगा :
परन्तु कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की स्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम नहीं बनायेगा, उसे संशोधित अथवा निरसित तक तक

नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकार को, प्रस्तावित परिवर्तन पर, लिखित रूप से, अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस अभिव्यक्त राय पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचारण न कर लिया गया हो।

33/3/ प्रत्येक नया परिनियम या परिनियम में जोड़ा जाना अथवा उसके संशोधन या निरसन में कुलाधिपति की सहमति अपेक्षित होगी जो उस पर सहमति दे सकेंगे या सहमति रोक रखेंगे और उसे विचारण के लिए कार्यकारिणी समिति को भेज देंगे। कोई नया परिनियम अथवा विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाला परिनियम की तब तक कोई विधिमाम्यता नहीं होगी जब तक कि कुलाधिपति की सहमति न मिल जाय।

परन्तु कुलाधिपति निर्देशन प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर अपना विनिश्चय सूचित नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि कुलाधिपति ने परिनियम में अपनी सहमति दे दी है।

परन्तु यदि कानून के अन्तर्गत कोई वित्तीय पहलू उत्पन्न हो तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाय।

30- fofu;e cuku dh 'kfDr A& विश्वविद्यालय के प्राधिकार, इस अधिनियम और परिनियम के अनुरूप अपने स्वयं के कार्य के संचालन के लिए विहित रीति से और समितियों के लिए, यदि कोई हो, जो उनके द्वारा नियुक्त हों और इस अधिनियम, परिनियम द्वारा उपबन्धित न हों तथा ऐसे विषयों के लिए जो परिनियम द्वारा विहित किये जायें विनियम बना सकेंगे। परन्तु, यदि कोई वित्तीय निहितार्थ विनियम के तहत उत्पन्न हो, तो यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाय।

इस अधिनियम, परिनियम के प्रावधानों के अधीन रखते हुए, विनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध कर सकेगा, यथा :-

- 31/3/ विश्वविद्यालय तथा उससे विशेषाधिकार प्राप्त एवं संचालित अथवा नियंत्रित संस्थानों में छात्रों के प्रवेश तथा नामांकन ;
- 32/3/ सभी डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के लिए अधिकथित किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;
- 33/3/ अनुदेशों एवं परीक्षाओं का माध्यम ;
- 34/3/ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ, उसके लिए अर्हताएँ और उसे देने और प्राप्त करने से संबंधित साधन ;
- 35/3/ विश्वविद्यालयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम, परीक्षाओं में बैठने, डिग्रियों, डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित होने वाली फीस ;
- 36/3/ फेलोशीप, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक एवं पारितोषिक संस्थित किया जाना तथा उन्हें देने की शर्त ;
- 37/3/ पद के कार्यकाल एवं नियुक्ति की रीति, परीक्षक निकायों, परीक्षकों तथा माडरेटर्स के कर्तव्यों को शामिल करते हुए परीक्षाओं का संचालन ;
- 38/3/ छात्रों के आवास की शर्त तथा उनका सामान्य अनुशासन ;
- 39/3/ विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों एवं संस्थाओं का प्रबंधन ;
- 40/3/ केन्द्रों, विश्वविद्यालयों संस्थानों, अध्ययन-बोर्ड, विशिष्ट प्रयोगशालाओं एवं समितियों की स्थापना ;
- 41/3/ किसी अन्य निकायों का, जो विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक जीवन के सुधार के लिए आवश्यक विचार किया जाय, सृजन, गठन एवं कृत्य ;
- 42/3/ विश्वविद्यालय, संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों, विद्वत् निकायों अथवा संघों सहित साथ समन्वय एवं सहयोग की रीति ;
- 43/3/ कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए तंत्र स्थापित करने ;
- 44/3/ कदाचार की कोटि, जिसके लिए इस अधिनियम, परिनियम या अध्यादेशों के अधीन कार्रवाई की जा सके ;
- 45/3/ सभी अन्य विषय, जो इस अधिनियम या परिनियम द्वारा या, के अधीन अध्यादेश द्वारा उपबन्ध किये गये हों अथवा किये जायें।

46/3/ प्रथम विनियम कुलपति द्वारा, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बनाया जायेगा और उस प्रकार बनाया गया अध्यादेश किसी भी समय, उस रीति से, जो परिनियम या अध्यादेश द्वारा विहित किया जाय, सरकार द्वारा संशोधित, निरसित किया जा सकेगा अथवा उसमें जोड़ा जा सकेगा।

31- okf"kd ifronu A&

47/3/ विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्यकारिणी परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसमें अन्य विषय एवं विश्वविद्यालय द्वारा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाये गये कदम सम्मिलित होंगे तथा परिनियम द्वारा यथाविहित तिथि को या उसके बाद सभा को समर्पित किये जायेंगे और सीनेट प्रत्येक वर्ष अगस्त/सितम्बर माह में अनिवार्य रूप से होने वाली अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी।

- 2½ सीनेट अपनी टिप्पणी, यदि कोई हो, के साथ वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को समर्पित करेगी।
3½ इस अधिनियम की उपधारा (1) के अधीन यथा तैयार किये गए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को भी समर्पित करेगी जो, यथाशक्य शीघ्र, विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष उसे रखवायेगी।

32- fuf/k A &

- 1½ विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :-
d½ फीस, अनुदान, दान एवं गिफ्ट, यदि कोई हो ;
[k½ राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्था, केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा ऐसे ही प्राधिकार, किसी स्थानीय प्राधिकार अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान ;
x½ विन्यास एवं अन्य प्राप्तियाँ।
2½ विश्वविद्यालय को ऐसी अन्य निधि होगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाये।
3½ विश्वविद्यालय की निधि और सभी धनों का प्रबंधन उस रीति से किया जायेगा जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।
4½ सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययन एवं शोध के उन्नयन एवं संवर्द्धन के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध करा सकेगी।

33- y[kk ,o y[kk ijh{kk A&

- 1½ विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं अधिशेष पत्र कार्यकारिणी परिषद् के निदेशन के अधीन तैयार किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक बार अथवा कम-से-कम पंद्रह माह के अन्तराल पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे इस निमित्त अधिकृत किया जाय, लेखा परीक्षा कराया जायेगा।
2½ वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, कार्यकारिणी परिषद् की अवधारणाओं के साथ, यदि कोई हो, सरकार के माध्यम से सभा और कुलाधिपति को समर्पित की जायेगी।
3½ वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा की गयी कोई अवधारणा सभा की जानकारी में लायी जायेगी तथा सभा की अवधारणा यदि कोई हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विचारण किये जाने के बाद, सरकार के माध्यम से कुलाधिपति को समर्पित की जायेगी।
4½ वार्षिक लेखा की एक प्रति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, जो कुलाधिपति को समर्पित की गयी हो, सरकार को भी समर्पित की जायेगी जिसे यथाशक्य शीघ्र विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

34- fjVu vkfn if"kr fd;k tkuk A& विश्वविद्यालय ऐसे रिटर्न या अपनी सम्पति या क्रियाकलापों के संबंध में अन्य जानकारी सरकार को प्रेषित करेगा जिनकी सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।।

35- depkfj;k dh lok'kr A& विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की सेवा की शर्तें परिनियमों तथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट होगी।

36- fo'ofokky; leh{kk vk;kx dk xBuA &

- 1½ कुलाधिपति, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या सरकार के अनुरोध पर, हर पांच साल में कम से कम एक बार, विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे।
2½ आयोग का गठन कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविदों से होगा, जिनमें से एक सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।
3½ सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो कुलाधिपति निर्धारित करें।
4½ आयोग ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे, सरकार को एक प्रति के साथ कुलाधिपति को अपनी सिफारिशें देगा।
5½ कुलाधिपति सिफारिशों पर सरकार के परामर्श से ऐसी कार्रवाई कर सकेंगे जो वह ठीक समझे।

37- vihy dk vf/kdkj A& विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या इसके विशेषाधिकार प्राप्त संस्था या छात्र को, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के विनिश्चय के विरुद्ध कुलाधिपति के समक्ष, उस समय के भीतर, जो परिनियम द्वारा विहित किया जाय, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर कुलाधिपति जिस विनिश्चय के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसे संपुष्ट, उपांतरित कर सकेंगे अथवा उलट सकेंगे।

38- Hkfo"; rFkk i'ku fuf/k A& विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन अथवा ऐसी बीमा स्कीम का प्रावधान परिनियम द्वारा, यथाविहित रीति से यथाविहित शर्तों के अधीन रहते हुए करेगा।

39- fo'ofok|ky; ikf/kdkjk ,o fudk;k d xBu d l/c/k e fookn A& यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है या नहीं अथवा सदस्य होने का हकदार है या नहीं तो वह विषय कुलाधिपति का निर्देशित कर दिया जायेगा जिनका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

40- vkdfLed fjfDr;k dk Hkjk tkuk A& विश्वविद्यालयों के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों के सिवाय, सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियों, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जो सदस्यों को नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त करता हो और जिसका स्थान रिक्त हो गया हो और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयुक्त कोई व्यक्ति इस अवधि के अवशिष्ट के लिए, जिस व्यक्ति के स्थान पर वह सदस्य होगा, उस प्राधिकार या निकाय का सदस्य होगा।

41- fo'ofok|ky; ikf/kdkjk ;k fudk;k dh dk;okgh dk fjfDr;k d dkj.k vfof/kekU; ugh gkuk A& विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई कार्यवाही या कार्यवाही उसके सदस्यों के बीच मात्र किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता के कारण अविधिमन्य नहीं होगी।

42- lnHkkoiod dh x;h dkjokb dk lj{k.k A& विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकार के विरुद्ध इस अधिनियम, परिनियम, विनियम अथवा अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या सद्भावपूर्वक किये जाने के आशय से किये गए कुछ भी के लिए कोई वाद या विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

43- fo'ofok|ky; vfhky[k d lcr d <x A& भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के प्राधिकार या अन्य निकाय की कोई रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे में किसी अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की प्रति रजिस्ट्रार द्वारा यदि अभिप्रेमाणित हो तो वह रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या दस्तावेज रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि की कोई प्रति प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जायेगी और विषयों और उसमें संव्यवहार, जहाँ उसका मूल, यदि उपस्थापित किया जाय वहाँ साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये गये हों, तो साक्ष्य के रूप में ग्रहण किये जायेंगे।

44- dfBukb;k dk nj dju dh 'kfDr A& इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत न हो तथा उस कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के आरम्भ से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद नहीं किया जायेगा।

परन्तु और कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र, विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

45- lOe.kdkyhu mic/k A & इस अधिनियम या परिनियम के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी -

¼1½ प्रथम कुलपति, प्रथम रजिस्ट्रार एवं प्रथम वित्त पदाधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और प्रत्येक उक्त पदाधिकारी चार वर्षों के कार्यकाल तक अपना पद धारण करेंगे।

¼2½ प्रथम सीनेट एवं प्रथम कार्यकारिणी परिषद् अधिकतम ग्यारह सदस्यीय होगा जिनका नाम सरकार द्वारा निर्दिष्ट होगा और चार वर्षों के कार्यकाल के लिए अपना पद धारित करेंगे।

परन्तु उपर्युक्त पदों एवं प्राधिकारों में यदि कोई रिक्ति होती है तो वह सरकार द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और उस प्रकार नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति उस पदाधिकारी या सदस्य के रूप में पदधारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट हुआ है, पद धारण करता यदि वह रिक्ति नहीं होती।

¼3½ इस अधिनियम या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी महाविद्यालय या संस्थान का कोई छात्र, जो विश्वविद्यालय से संबद्धता की तारीख से ठीक पहले अध्ययन कर रहा था या अन्य विश्वविद्यालयों की किसी भी परीक्षा के लिए पात्र था, को पाठ्यक्रम की तैयारी में इसे पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए ऐसी अवधि और रीति का उपबंध करेगी जो विहित की जाय।

46- ifjfu;e] fofu;ekoyh rFkk v/;kn'kk dk jkti= e idk'ku rFkk fo/kkueMy d le{k j[kk tkuk A&

¼1½ इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, विनियम या अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

¼2½ इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, विनियमावली या अध्यादेश, बनाये जाने के बाद, यथाशक्य शीघ्र, विधानमंडल के सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुवर्ती सत्रों को मिलाकर हो, और यदि, उपर्युक्त अनुवर्ती सत्रों या बागामी सत्र के ठीक बाद के सत्र की समाप्ति के पूर्व, रखे

जायेंगे और यदि दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि परिनियम, विनियमावली या अध्यादेश नहीं बनाना चाहिए जो तत्पश्चात् यथास्थिति, परिनियम, विनियमावली या अध्यादेश का प्रभाव केवल उपांतरित प्रारूप में होगा अथवा उसका प्रभाव नहीं होगा। फिर भी किसी ऐसे उपांतरण या संशोधन, परिनियम, विनियमावली या अध्यादेश के अधीन पूर्व में किये गये किसी बात की विद्यमानता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

यदि सत्र के तुरंत बाद या पूर्वोत्तर लगातार सत्रों के बाद, सत्र की समाप्ति से पहले, सदन कानून या विनियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि कानून या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो कानून या विनियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभाव नहीं होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा। हालांकि, ऐसा कोई भी रूपान्तरण या संशोधन उस कानून या विनियम की संबंधित स्थिति के तहत पहले किए गए किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

mn' ; ,o gr

राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तन और उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में परंपरागत विषयों के अतिरिक्त नये एवं उभरते हुए पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करना, पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन किया जाना, इसके अनुरूप शिक्षकों तथा छात्रों को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना एवं संस्थानों में शोध एवं नवोन्मेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है। इस प्रकार समग्र रूप में स्वास्थ्य विज्ञान की विभिन्न विधाओं में शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर अभिवर्धन किये जाने के लिए एक पृथक एवं अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजनार्थ राज्य में एक पृथक बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु "बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021" को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

exy ik.M;,
भार-साधक सदस्य

पटना
दिनांक-27.07.2021

भूदेव राय,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 641-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>